# फिरौती के लिये अपहरण काण्ड का सनसनीखेज खुलासा

दिनांक 25.8.09 को अज्ञात आरोपियों द्वारा गोविन्द अग्रवाल को अपहृत लिया व इसकी रिहाई हेतु परिवान जन से दस लाख रू0 की मांग की गई। जिनकी गिरफ्तारी हेतु अति0 पुलिस अधीक्षक शहर, अति0 पुलिस अधीक्षक देहात को मय बल के पुलिस द्वारा इस प्रकरण को चुनौती के रूप में लिया जाकर तीन स्थानों पर पृथक पृथक दबिशें दी जाकर मुख्य सरगना दिलीप पिता पीरूलाल धोबी निवासी छोटा बाजार उन्हेल तथा उसके साथीगण आशाबाई पति नारायण भांमी निवासी मोहननगर उज्जैन को हिरासत में लिया गया व अपहृत गोविन्द अग्रवाल को उन्हेल स्थित दिलीप के मकान से मुक्त कराया गया तथा उसके अन्य साथीदारान गौरव पिता सत्यनारायण निवासी ब्रा0 गली उन्हेल, 2–राजकुमार पिता जगदीशचन्द्र देवडा निवासी उन्हेल, समरथ पिता पीरूलाल निवासी उन्हेल, पुष्पाबाई पति गोपाल निवासी नानाखेडा उज्जैन को गिरफ्तार कर घटना में उपयोग हेतु लाई गई वैन को भी मय ड्रायवर राजू देवडा के जप्त की गई। पूछताछ पर पाया कि घटना का मुख्य सरगना दिलीप धोबी है, जो दोनो पैरों से अपंग है, इसने यह फिरौती काण्ड करने के लिये 30,000/–रू0 का कर्ज लिया था व एकता नगर में एक मकान भी किराये से लिया था।